ग्राम पंचायत जबेहड, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

1 प्रस्तावना :-

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जबेहड , विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

1	श्री पवन कुमार	1-4-2014 से 22-1-2016
2	श्रीमती संतोष कुमारी	23-1-2016 से लगातार

सचिव :-

1	श्री रमेश चंद	1-4-2014 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत जबेहड के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि
1	9	अनुदान का उपयोग न करना	15.60
2	11	निर्माण कार्यों का मूल्याँकन अनुचित रूप से करनें के कारण अधिक भुगतान	0.20
3	12	निर्माण कार्यों के मूल्याँकन (Assessment) के बिना भुगतान करना	1.95

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत जबेहड, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30-11-2017 से 4-12-2017 तक ग्राम पंचायत जबेहड में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	10/2014	2/2015
2015-16	2/2016	7/2015

2016-17 2/2017 3/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत जबेहड, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 307 /201 7 दिनांक 4-12 -2017 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत जबेहड़ से अनुरोध किया गया |

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत जबेहड द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **स्व स्त्रौत :-** ग्राम पंचायत जबेहड के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	19733.75	52511.15	72244.90	39750.85	32494.05
2015-16	32494.05	74693.00	107187.05	43630.80	63556.25
2016-17	63556.25	116518.00	180074.25	92989.93	87084.32

(2) **अनुदान :-** ग्राम पंचायत जबेहड के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	473093.00	985863.00	1458956.00	1358178.00	100778.00
2015-16	100778.00	3313595.00	3414373.00	2521717.00	892656.00
2016-17	892656.00	3004593.00	3897249.00	2337399.00	1559850.00

5 बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत जबेहड के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2017 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों में जमा के अन्तशेष में ₹17000 अंतर था जिसका समाधान विवरण **परिशिष्ट (2)** पर सलंग्न है |

1	रोकड़ बही खाता क पैरा 4(1) का अन्तशेष	₹ 87084.32
2	रोकड़ बही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष	₹1559850.00
	योग	**₹1646934.32**

अन्तशेष का विवरण:- दिनांक 31-03-2017 को अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था |

क्र. सं	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि**
1	**PNB CHACK SARAI**	**1737000100031550**	**1253656.07**
2	**KCCB AMB**	**20009003526**	**340516.00**
3	**KCCB AMB**	**20009003865**	**69539.00**
4	**HDFC AMB**	**5010012250300**	**38.00**
		TOTAL	1663749.07
	CASH IN HAND		185.25
		G. TOTAL	**₹1663934.32**

अन्तर ₹1663934.32 – ₹1646934.32 = ₹17000

6 सचिव द्वारा अपने नाम से चैक द्वारा राशि आहरित करना :---

सामान्य रोकड़ वही तथा बैंक पास बुकों की जाँच करने पर पाया गया कि कई प्रकरणों में सचिव द्वारा अपने नाम से जारी चेक से राशि आहरित करके विभिन्न फर्मों तथा मजदूरों को भुगतान की है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 17 (2) के अनुसार अनुचित है क्योंकि एक हजार से अधिक का भुगतान चेक द्वारा किया जाना अपेक्षित थी । अत: सचिव के नाम से चैक द्वारा राशि आहरित करने के प्रकरणों बारे नियमानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा इस प्रकार के आहरण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए क्योंकि इस प्रकार के आहरण से राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है ।

7 निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वाराअंकेक्षण अवधिके लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था । इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये

8 पंचायत राजस्व की वसूली :-

पंचायत सचिव जबेहड द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि शून्य वसूली हेतु शेष थी।

1. **गृहकर** :

वर्ष	**अथशेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2014-15	1020	13560	14580	0	14580

2015-16	14580	14570	29150	0	29150
2016-17	29150	14910	44060	44060	0

(2) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अत: गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 अनुदान ₹15.60 लाख उपयोग हेतु शेष :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1559850 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

10 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

11 निर्माण कार्यों का मूल्याँकन (ASESSMENT) अनुचित रूप से करनें के कारण ₹0.20 लाख का अधिक भुगतान

ग्राम पंचायत द्वारा MGNREGA के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्यों की मापन पुस्तिकाओं की जांच करने पर पाया गया कि ASSESSMENT करते समय 15 % CONTRACTOR PROFIT तथा OH चार्जेज की कटौती न करने के कारण ₹19938 का अधिक भुगतान किया गया जो कि अनुचित है। अत: इस बारे नियमानुसार अवगत करवाया जाए अन्यथा राशी की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए।

NAME OF WORK	LABOUR ASSESSMENT	15% CP&OH CHARGES NOT DEDUCTED	MB NO. &PAGE NO.
चेक डैम आलुओं वाला चौ	1794	269	5044P-42
चेक डैम आलुओं वाला चौ	3388	508	5044P-43
चेक डैम आलुओं वाला चौ	20898	3135	5044P-43
चेक डैम आलुओं वाला चौ	58267	8740	5044P-43
चेक डैम आलुओं वाला चौ	27859	4179	5044P-43
चेक डैम आलुओं वाला चौ	13245	1987	5044P-43

चेक डैम आलुओं वाला चौ	7465	1120	5044P-43
	TOTAL	**₹19938**	

12 ₹1.95 लाख का भुगतान मूल्याँकन के बिना करना :-

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता के मूल्याँकन के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा, परन्तु जाँच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा ₹194790 का भुगतान मूल्याँकन के बिना किया गया। अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए मूल्याँकन के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए।

वा. सं.	मास	कार्य का नाम	राशि
MGNREGA			
1	2/2015	निर्माण रास्ता मेन रोड से आबादी ब्राह्मण	120400
2	2/2015	निर्माण रास्ता मेन रोड से आबादी ब्राह्मण	29000
19	7/2015	निर्माण रास्ता मेन रोड से आबादी ब्राह्मण	34000
115	3/2017	चेक डैम जन्दोह खड्ड	4590
116	3/2017	चेक डैम जन्दोह खड्ड	2890
125	3/2017	चेक डैम जन्दोह खड्ड	3910
		TOTAL	**₹194790**

13 मस्टरोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना:-

ग्राम पंचायत जबेहड द्वारा लाखौं रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गये तथा उन्हें मस्टरोल पर भुगतान किया गया परन्तु हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार इन कार्यों के मस्टरोल का न सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से नियमानुसार सत्यापन नहीं करवाया गया अत: उक्त के अभाव में भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

14 निविदाओं के बिना क्रय करना :---

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (5) के द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना किये बिना ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री का क्रय किया गया जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित किया जाए।

15 ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा सम्पत्ति रजिस्टर का रख रखाव न करना :----

ग्राम पंचायत द्वारा प्रारूप 8 पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम हिमाचल प्रदेश परिसम्पत्ति (अस्ति) रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है जिसका शीघ्र रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाए।

16 फॉर्म 34 तैयार न करना तथा जाँच हेतु उपलब्ध न करना :--

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 19(3), 27(3), 97(5) तथा 105(5) की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा करवाए गये निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों की मात्रा तथा राशी एवं भुगतान की गयी मजदूरी का विवरण फॉर्म 34 पर तैयार नहीं किया गया जिसके अभाव में निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मात्रा तथा भुगतान की गयी मजदूरी की पुष्टि नहीं की जा

सकी। अत: ग्राम पंचायत द्वारा करवाए गये निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों की मात्रा तथा राशी एवं भुगतान की गयी मजदूरी का विवरण फॉर्म 34 पर शीघ्र तैयार करके अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 **विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अत: इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 **प्रत्यक्ष सत्यापन :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 **लघु आपति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

---

20 **निष्कर्ष :-** लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(v) 34/2018 खण्ड–1–3438–3441 दिनांक16.05.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, ऊना जिला ऊना, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत जबेहड़, विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881